निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाष– 05966–222722, फैक्स–05966–221074
ईमेल– dirudyanhorti@gmail.com, missionhortiuk@gmail.com

पत्रांक 2555 /फसल बीमा–रबी, खरीफ/2023–24 दिनांकःचौबटियाःनवम्बर, 09,2023

सेवा में,

01. **एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0,** प्लेट बी और सी, 5वीं मंजिल, ब्लॉक–1, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
02. **एच0डी0एफ0सी0 इरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी,** 6जी फ्लोर, लीला बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुरला रोड, अन्धेरी (ई0), मुम्बई–400059
03. **टाटा ए0आई0सी0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी,** ए–501, 5th Floor, बिल्डिंग न0–4, इनफिनिटी पार्क दिनदोशी, मलाड (ई) मुम्बई–400097
04. **चोलामण्डल एम0एस0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0,** डेरा हाउस, 2nd Floor, न0–2, एन0एस0सी0बोस0 रोड, चेन्नई–600001
05. **एस0बी0आई0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,** नटराज (101, 201–301) जंगशन ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे एण्ड अन्धेरी कुरला रोड, अन्धेरी, ईस्ट मुम्बई–400069
06. **बजाज इलाइन्ज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी,** जीई प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, यरवदा, पूना–411006
07. **इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी,** इफ्को टावर–II, 5th Floor, प्लॉट न0–3, सेक्टर–29, गुडगांव–122001

विषय– **रिट याचिका संख्या–119(एम0बी0)/2023 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2023 में दिये गये आदेश के अनुपालन में सीमित निविदा खोलने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Re-Structured Weather Based Insurance Scheme) के सम्बन्ध में एस0बी0आई0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–119(एम0बी0)/2023 एस0बी0आई0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2023 के प्रस्तर संख्या–75 में निम्नानुसार आदेश पारित किया गयाः–

75- For all the aforesaid reason, we have no hesitation in concluding that the respondents-authorities have grossly erred in rejecting the technical bid of the petitioner on the ground that the petitioner had no filled in the financial bid table contained in the term-sheets, and had not submitted the term sheets. Since that was the only ground on which the technical bid of the petitioner was rejected, and its financial bid not opened, we direct the respondents-authorities to open the financial bid of the petitioner. In case, the financial bid of the petitioner is found to be lower than that of respondent nos.4 and 5 in respect of any of the cluster, the respondents shall award the contract to the petitioner in respect of the cluster where the petitioner's financial bid is lower than the bid accepted by the respondents-authorities for that cluster. In that eventuality, since respondent nos.4 and 5 have already granted cover for Kharif season, the petitioner would be granted the contract for the remaining sowing season under the tender.

मा0 उच्च न्यायलय के निर्णय 12.09.2023 के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका योजित किये जाने हेतु प्रश्नगत याचिका से सम्बन्धित प्रतिवादी संख्या–4 यथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 के प्रत्यावेदन दिनांक 09.10.2023 एवं 17.10.2023 के क्रम में न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून से प्रकरण को विधिक्षित कराते हुए न्याय विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि– **"न्याय विभाग के परामर्शानुसार मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2023 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुमति याचिका संख्या 22554/2023 एवं संख्या 22727/2023 में मा0 उच्चतम न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की रोक/स्थगन/अन्य कोई आदेश नहीं किये जाने के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 12.09.2023 का अनुपालन किया जाना ही न्यायोचित आधार बताया गया है"।**

क्रमश–......2

अतः माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2023 के आलोक में एवं न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के परामर्शानुसार पत्रावली पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एस0बी0आई0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 की EoI (वित्तीय बिड) निदेशालय द्वारा इस हेतु गठित विभागीय समिति के सम्मुख खोलने हेतु दिनांक 16.11.2023 को पूर्वान्ह् 11:30 बजे की तिथि निर्धारित की जाती है। तद्नुसार गठित विभागीय समिति एस0बी0आई0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 की EoI (वित्तीय बिड) खोलने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपनी संस्तुति भी सक्षम स्तर को उपलब्ध करायेगी।

इस सम्बन्ध में समस्त उपरोक्त उल्लिखित फसल बीमा कम्पनियों से अपेक्षा की जाती है कि EoI की वित्तीय बिड खोलने के समय निर्धारित तिथि को राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा0 आर0के0 सिंह)
अपर निदेशक/
कृते–निदेशक

पत्रांक 2555/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

01. **सम्बन्धित पटल सहायक** उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त प्रतिभागियों को ईमेल के माध्यम से सूचित करते हुए उक्त की एक प्रति वेबसाइट पर भी अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
02. **संयुक्त निदेशक,** उद्यान, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. **निदेशक,** उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत–अल्मोड़ा को पत्रावली के नोटशीट पृष्ठ संख्या–02 पर दिनांक 08.11.2023 को प्राप्त अनुमोदन के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. **महानिदेशक,** कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05. **सचिव,** कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
06. **संयुक्त सचिव/सी0ई0ओ0** (PMFBY), कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उपरोक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर निदेशक/
कृते–निदेशक